



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072026-274992
CG-DL-E-30072026-274992

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948

No. 626]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 688(अ).—केंद्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 में, नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"32. शास्ति.— जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह धारा 28 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (अर्थात्; अपतट क्षेत्र खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026) के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।"

[फा. सं. एम.VI-16/51/2026-खान VI (भाग-6)]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 688(E).— In exercise of the powers conferred by section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024, namely: —

1. **Short title and commencement:** — (1) These rules may be called the Offshore Areas Operating Right (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 2026.

2. In the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024, for rule 32, the following rule shall be substituted, namely: —

“32. Penalty. — Whoever contravenes the provisions of these rules shall be liable to penalty in accordance with the provisions of section 28 and the rules made thereunder (*i.e.*, the Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026).”.

[F. No. M.VI -16/51/2026-Mines VI (Part 6)]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.

Note: — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 646 (E) dated the 16th October, 2024.